न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **21/07 (वाद)**

GCMS No. : 2007/00090

1. श्री नटवरसिंह पिता वसनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, हाल राजस्थान राव छात्रावास शास्त्री सर्कल उदयपुर।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पिता वसनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली
3. श्री चैनसिंह पिता वसनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली

वादीगण हाल मकान नम्बर 588 हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 9 उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री चिमनसिंह पिता माधुसिंह राजपूत, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
2. श्री करणसिह पिता चिमनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
3. श्री बालूदास पिता गणेशदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
4. श्री मांगीदास पिता गणेशदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
5. श्री गेरदास पिता गोकलदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
6. श्री मनोहरदास पिता गोकलदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
7. श्री वक्तावरदास पिता गोकलदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी तहसील मावली
8. श्री जमनादास पिता रूपदास जी वैरागी, निवासीं खाम की मादडी, तहसील मावली
9. श्री शंकरदास पिता रूपदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
10. श्री चुन्नीदास पिता गोकलदास जी वैरागी निवासी साकरीया खेड़ी, तहसील मावली

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.07.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाम की मादड़ी, तहसील मावली के आराजी नम्बर 888, 889 किता 2 कुल रकबा 4 बीघा के साबिक आराजी नम्बर 909/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व आराजी नम्बर 910 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा है।
2. यह कि गांव खाम की मादड़ी, तहसील मावली जागीर का गांव था व इसके जागीरदार दूल्हेसिंहजी थे जिनसे उक्त आराजीयात श्री वसनसिंह पिता नवलसिंह जी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी ने सन् 1960 सें भी पहले खरीद कब्जा प्राप्त किया, तब से श्री वसनसिंह पिता नवलसिह जी का कब्जा चला आया है बाद में वसनसिंहजी व वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री नहीं होने से जागीरदार दूल्हेसिंह ने तारीख 4–8–78 को वादीगण के पक्ष में उक्त आराजीयात का बिकावनामा निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है, तब से वादीगण खातेदारी हक से काबिज चले आ रहे हैं। इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। आराजी नम्बर 889 पर वादीगण काश्त करते आ रहे हैं तथा आराजी नम्बर 888 पर वादीगण मवेशी चराते हैं व घास काटते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का आराजी नम्बर 888 पर कोई हक व अधिकार नहीं है। जागीरदार दूल्हेसिंह जी द्वारा जो बिकावनामा वादीगण के पक्ष में तारीख 4–8–1978 को निष्पादित किया गया उसमे आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के बजाय आराजी नम्बर 887 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित करा दिया जो गलत है। वास्तव मे जागीरदार दूल्हेसिह ने आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व आराजी नम्बर 889 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूगि ही वादीगण को बेची व कब्जा सौपा है तब से आराजी नम्बर 888, 889 पर ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। आराजी नम्बर 887 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 909/2 रकबा 15 बिस्वा माधुसिह पिता भीमाजी राव के कब्जे में होने से माधुसिह ने दीगर आराजी के साथ आराजी नम्बर 887 भी श्री गोकलदास गणेशदास वैरागी को दे दी, तब से गोकलदास, गणेशदास जी का कब्जा चला आया है व गणेशदास जी व गोकलदास जी की मृत्यु होने पर गोकलदास जी, गणेशदास जी के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3 से 10 काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन यह आराजी राजस्व रेकार्ड में दूल्हेसिंह के नाम दर्ज थी व दूल्हेसिंह के नाम से उक्त विक्रय–पत्र तारीख 4–8–1978 से वादीगण के नाम दर्ज हुई है, जबकि वादीगण का कब्जा आराजी नम्बर 888 पर चला आ रहा है जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गई है। अतः आराजी नम्बर 888 वादीगण के नाम पर दर्ज कराया जाना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त विक्रय पत्र तारीख 4–8–1978 से आराजी नम्बर 889 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज हो गयी है लेकिन रजिस्ट्री में आराजी नम्बर 888 के बजाय आराजी नम्बर 887 अंकित होने से आराजी नम्बर 887 वादीगण के नाम दर्ज हो गयी है। जबकि वादीगण की खरीदसुदा आराजी नम्बर 888 होकर कब्जा भी आराजी नम्बर 888 पर ही है। अतः आराजी नम्बर 888 वादीगण के नाम व आराजी नम्बर 887 प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 10 के नाम दर्ज होनी चाहिये। उक्त आराजी नम्बर 888 प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम गलत दर्ज होने से प्रतिवादीगण नम्बर–1, 2 की नियत में फितूर आ गया है व राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी अपने खातेदारी की बताकर जबरन कब्जा करने पर उतारू है तथा वादीगण को जबरन हटाकर कब्जा करना चाहता है जिसका प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 को कोई अधिकार नहीं है।
4. यह कि तारीख 5–2–2007 को प्रतिवादी नम्बर 1, 2 उक्त आराजी नम्बर 888 पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये व वादीगण को धमकी दी कि यह आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी की है अतः इस भूमि से हट जाओ वरना गुण्डो को लाकर कब्जा करेंगे व भूमि दलालों को बैह कर देंगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1. 2 को कहा कि यह भूमि हमारी खरीदशुदा होकर पूर्व में हमारे पिताजी का कब्जा था व अब हमारा कब्जा चला आ रहा है व हम इसके खातेदार होकर काबिज हैं आप कब्जा नही हटा सकते हैं फिर भी नहीं माने व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुए। अतः वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराना व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है वरना वादीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।
5. वाद कारण तारीख 6–2–07 को पैदा हुआ जब कि प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 ने उक्त आराजी नम्बर 888 पर गुण्ड़े लाकर कब्जा करने व भूमि दलालो को बैह करने की धमकी दी।
6. अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि मौजा खाम की मादड़ी की आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण नम्बर–1, 2 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे वादीगण के कब्ज़े, उपयोग–उपभोग की आराजी नम्बर 888 में किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नही करें, न जबरन कब्जा करें, न यह आराजी किसी को किसी तरह से हस्तान्तरण ही करें, न इस पर कोई निर्माण कार्य ही करें तथा प्रतिवादीगण ऐसा अपने नौकर एजेन्ट, परिवारजन से भी नहीं करावें

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नं. 888 मुझ प्रतिवादी चिमनसिंह के खातेदारी की है तथा आराजी नं. 888 पर कब्जा भी मुझ प्रतिवादी चिमनसिंह का ही चला आ रहा है। वादीगण का इस आराजी में किसी प्रकार कोई स्वतवः एवं आधिपत्य नही है। आराजी नम्बर 889 से हमारा कोई तालुक नही है। आराजी नम्बर 888 में हम प्रतिवादीगण के मवेशी चरते है एवं हम घास काटते है। बिकावनामा 04.08.1978 को लिखा गया उसमें आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 83 बिस्वा के बजाय आराजी नं. 887 रकबा । बीघा 5 बिस्वा लिख दिया है यह सारे कथन वादीगण ने गलत अंकित किये है। आराजी नं. 888 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा का वादीगण के पास कोई दस्तावेज नही है। आराजी नम्बर 888 हम प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की है। आ.नं. 887 अगर वादीगण के बिकाव हुई हो तो उस पर अपना कब्जे करने के लिए स्वतंत्र है। आराजी नं. 887 किसके कब्जे में है इसका हमारे से कोई तालुक नही है। आराजी नं. 888 हमारे नाम पर रेवेन्यू रिकार्ड में सही दर्ज हुई है। वादीगण को आराजी नं. 888 अपने नाम पर दर्ज कराने का कोई अधिकार नही है। वादीगण को हमारे विरुद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

8. विशेष कथन में निवेदन किया कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में कही पर भी यह अंकित नही किया है कि यह वाद इस न्यायालय के समायत का कैसे है इस आधार पर यह वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण ने इस वाद में यह भी नहीं लिखा है कि क्या वादी ने वाद की डूप्लीकेट कॉपी व शपथ–पत्र पेश किया है इस आधार पर भी यह वाद खारिज होने योग्य है। वर्तमान में आराजी नं. 888 इसके साबिक नं. 909/1 थे वो सम्वत् 2022 में भी मुझ चमनसिंह के पिता माधू सिंह वल्द भीमा दादा सवा जी राव के नाम पर दर्ज थी ऐसी अवस्था में वादीगण का यह कहना की हमने यह भूमि दुल्हे सिंह जी से खरीदी अपने आप में गलत हो जाती है। क्योंकि जब आराजी नं. 888 दुल्हेसिंह जी की खातेदारी नही थी ऐसी अवस्था में दुल्हेसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

जी को आराजी नं. 888 विक्रय करने का भी कोई अधिकार नही था और आराजी नं. 888 को वादीगण को विक्रय की है ऐसी अवस्था में भी वादीगण का वाद मय खर्चा खारीज होने योग्य है। आराजी नं. 888 जिसका साबिक नम्बर 909/1 है वो साबिक नं. भी मुझ प्रतिवादी चिमनसिंह के पिता नाथूसिंह के खाते में थे और उसके बाद भी जो सेटलमेन्ट हुआ और जिसके नये नम्बर 888 पडे. वो 888 भी मुझ चिमनसिंह के खाते में दर्ज हुई है इस तरह इतने लम्बे समय तक वादीगण का कोई उजर नही करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वादीगण का इस आराजी नम्बर 888 से कोई लेना देना नही है। महज हम प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह गलत वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

9. काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा मौजा खाम की मादडी में स्थित है जो मुझ प्रतिवादी चिमनसिंह पिता माधूसिंह राव के खातेदारी की है। और हमारे आधिपत्य में है उसमें हमारे मवेशी चरते है । वादीगण का इस आराजी में किसी प्रकार का कोई स्वत्व एवं अधिकार सही नही होते हुए भी वे जोर जबरदस्ती से हमारे इस आराजी को हमारे से छिनना चाहते है तथा हमारे शांतिपूर्वक उपयोग में आये दिन बाधा पहुंचाते है। इसलिए हम प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है एवं वादीगण व नौकर चाकर हमारी आराजी नम्बर 888 में प्रवेश नही करे तथा हमारे को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें । हमारे उपयोग उपभोग में कोई बाधा नही पहुंचायें। हम प्रतिवादीगण का प्राईमाफेसी केस है। रेवेन्यु रिकार्ड में जमीन हमारे खातेदारी में दर्ज है। वादीगण का कोई केस नही है। ऐसी अवस्था में इस काउण्टर क्लेम के जरीये हम प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है। अंत में निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वे स्वयं, परिवारजन के सदस्य, नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि मौजा खाम की मादड़ी को आराजी नं. 888 में किसी प्रकार से प्रवेश नही करे तथा हमें उक्त आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवें । वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

10. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाम की मादड़ी जागीर का गांव था व इसके जागीरदार श्री दूल्हेसिंह थे व यह भी स्वीकार है कि उक्त आराजीयात श्री वसन्तसिंह राजपूत से करीब 45 साल से भी अधिक समय से खरीद कब्जा प्राप्त किया, लेकिन किस सन् में खरीदी, यह हमें याद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

खरीदने के बाद वसनसिंह व वादीगण काबिज चले आ रहे है तथा यह भी स्वीकार है कि बाद में जागीरदार दूल्हेसिंह ने वादीगण के पक्ष में उक्त आराजीयात का बिकावनामा लिख रजिस्ट्री करा दी है जिसे भी करीब 25–30 साल हो गये हैं। इन आराजीयात पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते रहे हैं व मवेशी चराते हैं। यह भी स्वीकार है कि प्रतिवादीगण का आराजी नम्बर 888 पर कोई हक व अधिकार नहीं है। आराजी नम्बर 888, 889 पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा यह भी स्वीकार है कि आराजी 887 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 909/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि माधुसिंह पिता भीमा जी राव के कब्जे में होने से माधुसिंह ने दीगर आराजी के साथ आराजी नम्बर 887 भी श्री गोकुलदास, गणेशदास वैरागी को दे दी, तब से गोकलदास गणेश दास का कब्जा चला आ रहा है व गणेशदास गोकलदास की मृत्यु होने पर गणेशदास जी के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3, 6, 10 काबिज चले आ रहे हैं लेकिन यह आराजी राजस्व रेकार्ड में दूल्हे सिंह के नाम दर्ज थी व दूल्हे सिंह के नाम से वादीगण के नाम दर्ज हो गई है जबकि वादीगण का कब्जा आराजी नम्बर 888 पर चला आ रहा है व आराजी नम्बर 887 पर हम प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 10 काबिज चले आ रहे है। आराजी नम्बर 888 राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम दर्ज हो गयी है अतः आराजी नम्बर 888 वादीगण के नाम दर्ज कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आराजी नम्बर 888 पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई कब्जा नहीं है। इस गलत इन्द्राज की जानकारी अभी इस वादपत्र की नकल मिलने पर व रेकार्ड देखने से हुई है। आराजी नम्बर 887 पर प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 10 के नाम दर्ज होनी चाहिए तथा आराजी नम्बर 888 पर वादीगण का कब्जा होने से वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए जिसमें हमें आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम आराजी नम्बर 888 गलत दर्ज होने से प्रतिवादी नम्बर 1, 2 पिता पुत्र वादीगण की आराजी नम्बर 888 पर जबरन कब्जा करने के लिए लड़ाई झगडा करना शुरू कर दिया है जबकि प्रतिवादी नम्बर–1 व 2 का इस भूमि पर हक व अधिकार नहीं है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण का कथित वाद उक्त अनुसार डिक्री फरमाया जावे तथा आराजी नम्बर 887 प्रतिवादी नम्बर 3 से 10 के नाम व आराजी नम्बर 888 वादीगण के नाम खाते में दर्ज कराये जाने की डिक्री पारित फरमायी जावे।

11. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाम की मादड़ी जागीर का गांव था व इसके जागीरदार श्री दूल्हेसिंह थे व यह भी स्वीकार है कि उक्त आराजीयात श्री वसनसिंह राजपूत ने करीब 4 साल से भी अधिक समय से खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा प्राप्त किया, लेकिन किस सन् में खरीदी, यह हमें याद नहीं है। खरीदने के बाद वसनसिंह व वादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा यह भी स्वीकार है कि बाद में जागीरदार दूल्हेसिंह ने वादीगण के पक्ष में उक्त आराजीयात का बिकावनामा लिख रजिस्ट्री करा दी है जिसे भी करीब 25–30 साल हो गये हैं। इन आराजीयात पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते रहे हैं व मवेशी चराते हैं। यह भी स्वीकार है कि प्रतिवादीगण का आराजी नम्बर 888 पर कोई हक व अधिकार नहीं है। आराजी नम्बर 888, 889 पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा यह भी स्वीकार है कि आराजी नम्बर 887 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 909/2 रकबा 15 बिस्वा भूमि माधुसिंह पिता भीमा जी राव के कब्जे में होने से माधुसिंह ने दीगर आराजी के साथ आराजी नम्बर 887 भी श्री गोकुलदास, गणेशदास वैरागी को दे दी, तब से गोकलदास, गणेशदास का कब्जा चला आ रहा है व गणेशदास गोकलदास की मृत्यु होने पर गणेशदास जी के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3 से 10 काबिज चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 3 से 10 के भाई बटवाड़े में प्रतिवादी नम्बर–4 के कब्जे में आयी है, लेकिन यह आराजी राजस्व रेकार्ड में दूल्हेसिंह के नाम दर्ज थी व दूल्हेसिंह के नाम से वादीगण के नाम दर्ज हो गई है जबकि वादीगण का कब्जा आराजी नम्बर 888 पर चला आ रहा है व आराजी नम्बर 887 पर हम प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 10 काबिज चले आ रहे हैं व भाई बटवाडे से प्रतिवादी नम्बर–4 के हिस्से में आयी है, तब से प्रतिवादी नम्बर–4 काबिज चला आ रहा है। आराजी नम्बर 888 राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम दर्ज हो गयी है अतः आराजी नम्बर 888 वादीगण के नाम दर्ज कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आराजी नम्बर 888 पर प्रतिवादी नम्बर–1 का कोई कब्जा नहीं है। इस गलत इन्द्राज की जानकारी अभी इस वादपत्र की नकल मिलने पर व रेकार्ड देखने से हुई है। आराजी नम्बर 887 पर प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 10 के नाम दर्ज होनी चाहिए तथा भाई बंटवाडे से प्रतिवादी नम्बर–4 के हिस्से व कब्जे में आने से प्रतिवादी नम्बर–4 के नाम दर्ज होनी चाहिए। आराजी नम्बर 888 पर वादीगण का कब्जा होने से वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए जिसमें हमें आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम आराजी नम्बर 888 गलत दर्ज होने से प्रतिवादी नम्बर 1, 2 पिता पुत्र वादीगण की आराजी नम्बर 888 पर जबरन कब्जा करने के लिए लड़ाई झगडा करना शुरू कर दिया है, जबकि प्रतिवादी नम्बर–1 व 2 का इस भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण का कथित वाद उक्त अनुसार डिक्री फरमाया जावे तथा आराजी नम्बर 887 प्रतिवादी नम्बर 3 से 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

के नाम व उसके बाद मुझ प्रतिवादी नम्बर–4 के नाम व आराजी नम्बर 888 वादीगण के नाम खाते में दर्ज कराये जाने की डिक्री पारित फरमायी जावे।

12. वादीगण द्वारा काउण्टर वाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि है जो जागीरदार दूल्हे सिंह ने आराजी नम्बर 888 व आराजी नम्बर 889 को बेचकर कब्जा सौंपा है जिसका बिकावनामा भी तारीख 4–8–78 को निष्पादित किया है, लेकिन बिकावनामा में आराजी नं0 888 के बजाय 887 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित कर दिया गया है, जबकि आराजी नम्बर 887 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 909/2 रकबा 15 बिस्वा बहादुर सिंह पिता भीमा जी राव के कब्जे में होना, माधु सिंह जी ने दीगर आराजी के साथ आराजी नम्बर 887 भी गोकुलदास, गणेशदास वैरागी को दे दिया है तब से गोंकुल दास गणेशदास वैरागी का ही कब्जा चला आया है व गणेशदास गोकुलदास की मृत्यु होने पर गोकुलदास गणेशदास जी के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 3 से 10 काबिज चले आ रहे हैं लेकिन यह राजस्व रेकार्ड में दूल्हेसिंह के नाम दर्ज थी तथा दूल्हेसिंह के नाम से उक्त विक्रय–पत्र तारीख 4–8–1978 से वादी के नाम पर दर्ज हुई है जबकि वादीगण का कब्जा आराजी नम्बर 888 पर चला आ रहा है लेकिन यह आराजी प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज हो गई है अतः आराजी नम्बर 888 वादी के नाम दर्ज कराया जाना चाहिए जिसके लिए वादी ने कथित वाद प्रस्तुत किया है तथा आराजी नम्बर 887 प्रतिवादी नम्बर 3 से 10 के नाम दर्ज होनी चाहिए। आराजी नम्बर 888 पर चिमनसिंह का कब्जा नहीं है। न आराजी नंबर 888 पर श्री चिमनसिंह के मवेशी चरते हैं अतः प्रतिवादी के कब्जे में बाधा पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। प्रतिवादीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण का न तो प्राईमाफेसी केस है, न सुविधा सन्तुलन ही प्रतिवादीगण के पक्ष में है, न प्रतिवादीगण को कोई अशोधनीय हानि होने वाली है। अतः प्रतिवादीगण वादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण का कथित प्रार्थना पत्र मयाद बाहर है। तारीख 15–1–2007 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं दिया है, न धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न होता है क्योंकि आराजी नम्बर 888 पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का कथित काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें। ताईद मे शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :—

1. आया खाम की मादड़ी के आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि दूल्हेसिंह द्वारा वादीगण को विक्रय कर कब्जा सौंपा गया।

   ....जिम्मे वादीगण

2. आया दिनांक 04.08.1978 को निष्पादित रजिस्ट्री में आराजी नम्बर 888 के बजाय 887 अंकित हो गया जबकि रजिस्ट्री व कब्जा 88 आराजी का सौंपा गया था। वादी आराजी नम्बर 888 अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

   .... जिम्मे वादीगण

3. आया कि आराजी नम्बर 888 के साबिक आराजी नम्बर 909/1 थे व यह नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता माधुसिंह के खाते दर्ज था तथा दुल्हेसिंह द्वारा उक्त आराजी का विक्रय अपने आप में गलत है।

   .... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

4. आया कि आराजी नम्बर 887 माधुसिंह ने गोकलदास व गणेशदास को दे दी व अब उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 10 काबिज है।

   .... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 4

5. दादरसी।

उपरोक्त तनकीयात कायमी के पश्चात वादी के पक्ष की साक्ष्य प्रारम्भ की गई। गवाह पीडबल्यू—1 वादी संख्या 1 स्वयं श्री नटवर सिंह पिता वसन सिंह, गवाह पीडब्ल्यू—2 लालसिंह पिता नवलसिंह निवासी खाम की मादड़ी, गवाह पीडब्ल्यू—3 मोहन सिंह पिता भूरसिंह निवासी खाम की मादड़ी, गवाह पीडब्ल्यू—4 वादी संख्या 3 स्वयं चैनसिंह पिता वसनसिंह के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पीडबल्यू—1 से 4 से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। प्रतिवादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई। गवाह डीडब्ल्यू—1 प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं चिमन सिंह पिता माधुसिंह, गवाह डीडब्ल्यू—2 करणसिंह पिता चिमनसिंह निवासी खाम की मादड़ी, गवाह डीडब्ल्यू—3 दौलसिंह पिता लालसिंह निवासी खाम की मादड़ी, गवाह डीडब्ल्यू—4 धुलसिंह पिता माधुसिंह निवासी खाम की मादड़ी, गवाह डीडब्ल्यू—5 निर्भय सिंह उर्फ हिम्मत सिंह पिता केसर सिंह निवासी खाम की मादड़ी, गवाह डीडब्ल्यू—6 मांगीदास पिता गणेशदास निवासी खाम की मादड़ी के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह डीडब्ल्यू—1 से 6 से जिरह अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई।

14. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के [illegible] व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर आयी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवाद्यक 1, 2 का भार वादीगण पर है। विवाद्यक 3 का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। विवाद्यक 4 का भार प्रतिवादी संख्या 3, 4 पर है। दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है कि:—

1. आया खाम की मादड़ी के आराजी नम्बर 888 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि दूल्हेसिंह द्वारा वादीगण को विक्रय कर कब्जा सौंपा गया।

.....जिम्मे वादीगण

2. आया दिनांक 04.08.1978 को निष्पादित रजिस्ट्री में आराजी नम्बर 888 के बजाय 887 अंकित हो गया जबकि रजिस्ट्री व कब्जा 888 आराजी का सौंपा गया था। वादी आराजी नम्बर 888 अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

उक्त दोनो तनकी का भार वादीगण पर है। उक्त दोनो तनकी परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण ने प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 की प्रति पेश की। जिसके अनुसार आराजी नम्बर 887, 889 वादीगण के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत 2062—65 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 चमनसिंह पिता माधुसिंह राव के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र 05.08.1978 के अनुसार ग्राम खाम की मादड़ी की आराजी नम्बर 887, 889 विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह राव द्वारा वादीगण को विक्रय की गई। प्रदर्श 6 ग्राम खाम की मादड़ी का मिलान पत्रक भू—प्रबंध विभाग संवत 2022 अनुसार हाल आराजी नम्बर 888 के साबिक आराजी नम्बर 909/1 थे। जिसके खातेदार मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह थे। प्रदर्श 4 ग्राम खाम की मादड़ी की नकल जमाबंदी संवत 2020—23 के अनुसार भी आराजी नम्बर 909/1 के खातेदार मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह थे। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह के नाम दर्ज थी। जो सेटलमेंट के दौरान प्रदर्श 13 भू—प्रबंध विभाग का फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा अर्थात खसरा परिशोधन पत्र क्रमांक 107 से प्रतिवादी संख्या 1 नाम पर दर्ज हुई। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की वादग्रस्त भूमि दुलसिंह पिता चमनसिंह के नाम रही हो। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जब वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 साबिक आराजी नम्बर 909/1 कभी विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह के नाम दर्ज ही नही हुई तो उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया जाना संभव नही है। विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह के नाम आराजी नम्बर 887, 889 का विक्रय वादीगण को किया गया है जिनका कब्जा लेना विक्रय पत्र में स्वयं वादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 887, 889 का क्रय 05.08.1978 को किया गया है। जबकि वाद न्यायालय में 17.02.2007 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वादीगण द्वारा क्रय से लगभग 29 वर्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा 29 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण भी वाद पत्र में नही बताया गया है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस यह भी निवेदन किया गया कि सेटलमेंट के पूर्व के राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 908 के बाद 901/2 और उसके पश्चात 902/1 अंकित किया गया है। जबकि आराजी नम्बर 908 के बाद 909/1 और उसके पश्चात 909/2 आना चाहिए था। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि साबिक नक्शा प्रदर्श 11 पर अंकित अनुसार उक्त नक्शा संवत 1988 अर्थात सन् 1932 में तैयार किया गया है। अर्थात वादीगण की क्रय दिनांक से 46 वर्ष पूर्व तैयार किया गया है। यदि उक्त नक्शा गलत बनाया होता तो विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह अवश्य ही कानूनी कार्यवाही करता। वादीगण द्वारा भूमि क्रय की गई है। वादीगण द्वारा जिस दिन से भूमि को क्रय करना बताया है उस दिनांक के पश्चात राजस्व नक्शे में कोई परिवर्तन नही किया गया है। वैसे तो वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार भूमि दिनांक 05.08.1978 को क्रय की गई है, परन्तु वादीगण द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनानुसार 1960 से भी पहले वादीगण के मौरूस वसनसिंह द्वारा क्रय किया जाना बताया है। परन्तु न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण के क्रय के पश्चात तथा क्रय से पहले राजस्व नक्शे में कोई परिवर्तन नही किया गया है। राजस्व नक्शा सन् 1932 से यथावत चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण क्रेता है तथा क्रेता को क्रय से पूर्व की स्थिति में बदलाव कराने का कोई अधिकार नही है तथा ना ही राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की कोई गलती हुई है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 का खातेदार विक्रेता कभी नही रहा है। इस कारण से जब वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 का विक्रेता कभी खातेदार ही नही रहा तो ऐसे में आराजी नम्बर 888 को विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह विक्रय भी नही कर सकता है। ऐसे में विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 887 के स्थान 888 मानकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है। जब आराजी नम्बर 888 दुलसिंह पिता चमनसिंह के नाम से दर्ज नही थी तो ऐसे में दुलसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

पिता चमनसिंह द्वारा आराजी नम्बर 888 का विक्रय कर कब्जा सौंपा जाना संभव ही नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

3. आया कि आराजी नम्बर 888 के साबिक आराजी नम्बर 909/1 थे व यह नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता माधुसिंह के खाते दर्ज था तथा दुल्हेसिंह द्वारा उक्त आराजी का विक्रय अपने आप में गलत है।

..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

उक्त तनकी का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 सेटलमेंट से पूर्व मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह के नाम दर्ज थी। जो सेटलमेंट के दौरान प्रदर्श 13 भू–प्रबंध विभाग का फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा अर्थात खसरा परिशोधन पत्र क्रमांक 107 से प्रतिवादी संख्या 1 नाम पर दर्ज हुई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता माधुसिंह के नाम दर्ज थी। परन्तु यह कथन माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि दुल्हसिंह के नाम दर्ज नही थी। इसलिए उक्त भूमि का दुल्हसिंह द्वारा विक्रय नही किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी आंशिक प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तथा आंशिक प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध साबित की जाती है।

4. आया कि आराजी नम्बर 887 माधुसिंह ने गोकलदास व गणेशदास को दे दी व अब उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 10 काबिज है।

..... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3, 4

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 3, 4 पर है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 4 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि माधुसिंह द्वारा उक्त भूमि को गोकलदास व गणेशदास को दी हो। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य नही है जिससे यह प्रतीत होता हो कि आराजी नम्बर 887 का खातेदार माधुसिंह रहा हो। जब आराजी नम्बर 887 का माधुसिंह कभी खातेदार ही नही रहा है तो ऐसे में उनके द्वारा अन्य खातेदार की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 10 को कैसे दी जा सकती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध साबित की जाती है।

अतः प्रदर्श 6 ग्राम खास की मादरी का मिलान पत्रक भू–प्रबंध विभाग संवत 2022 अनुसार हाल आराजी नम्बर 888 के साबि. आराजी नम्बर 909/1 थे। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह थे। प्रदर्श 4 ग्राम खाम की मादड़ी की नकल जमाबंदी संवत 2020–23 के अनुसार भी आराजी नम्बर 909/1 के खातेदार मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह थे। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व मादींग वल्द भीमा दादा सवा राव सा.देह के नाम दर्ज थी। जो सेटलमेंट के दौरान प्रदर्श 13 भू–प्रबंध विभाग का फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा अर्थात खसरा परिशोधन पत्र क्रमांक 107 से प्रतिवादी संख्या 1 नाम पर दर्ज हुई। प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत 2062–65 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 चमनसिंह पिता माधुसिंह राव के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र 05.08.1978 के अनुसार ग्राम खाम की मादड़ी की आराजी नम्बर 887, 889 विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह राव द्वारा वादीगण को विक्रय की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की वादग्रस्त भूमि दुलसिंह पिता चमनसिंह के नाम रही हो। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस यह भी निवेदन किया गया कि सेटलमेंट के पूर्व के राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 908 के बाद 901/2 और उसके पश्चात 902/1 अंकित किया गया है। जबकि आराजी नम्बर 908 के बाद 909/1 और उसके पश्चात 909/2 आना चाहिए था। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि साबिक नक्शा प्रदर्श 11 पर अंकित अनुसार उक्त नक्शा संवत 1988 अर्थात सन् 1932 में तैयार किया गया है। अर्थात वादीगण की क्रय दिनांक से 46 वर्ष पूर्व तैयार किया गया है। यदि उक्त नक्शा गलत बनाया होता तो विक्रेता दुलसिंह पिता चमनसिंह अवश्य ही कानूनी कार्यवाही करता। वादीगण द्वारा भूमि क्रय की गई है। वादीगण द्वारा जिस दिन से भूमि को क्रय करना बताया है उस दिनांक के पश्चात राजस्व नक्शे में कोई परिवर्तन नही किया गया है। वैसे तो वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि अनुसार दिनांक 05.08.1978 को क्रय की गई है, परन्तु वादीगण द्वारा वाद पत्र में किये गये कथनानुसार 1960 से भी पहले वादीगण के मौरूस वसनसिंह द्वारा क्रय किया जाना बताया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण के क्रय के पश्चात तथा क्रय से पहले राजस्व नक्शे में कोई परिवर्तन नही किया गया है। राजस्व नक्शा सन् 1932 से यथावत चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 888 साबिक आराजी नम्बर 909/1 कभी विक्रेता दुल्हेसिंह पिता चमनसिंह के नाम दर्ज ही नही हुई तो उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया जाना संभव नही है। वादीगण क्रेता है तथा क्रेता को क्रय से पूर्व की स्थिति में बदलाव कराने का कोई अधिकार नही है तथा ना ही राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की कोई गलती हुई है। विक्रेता दुल्हेसिंह पिता चमनसिंह के नाम आराजी नम्बर 887, 8[illegible] क[illegible] विक्रय वादीगण को किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

जिनका कब्जा लेना विक्रय पत्र में स्वयं वादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। विक्रय पत्र में आराजी टंकण करते समय किसी प्रकार कि कोई गलती नही हुई है। वैसे भी तनकी संख्या 1, 2 का भार वादीगण पर रहा जिसे साबित कराने में असफल रहे। तनकी संख्या 3 का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर रहा जिसे पूर्ण रूप से साबित कराने में असफल रहा। तनकी संख्या 4 का भार प्रतिवादी संख्या 3, 4 पर रहा जिसे साबित कराने में असफल रहे। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउण्टर वाद खारिज योग्य पाये जाते है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउण्टर वाद मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर दोनो खारिज किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नटवरसिंह पिता वसनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली, हाल राजस्थान राव छात्रावास शास्त्री सर्कल उदयपुर।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पिता वसनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली
3. श्री चैनसिंह पिता वसनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादड़ी, तहसील मावली वादीगण हाल मकान नम्बर 588 हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 9 उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री चिमनसिंह पिता माधुसिंह राजपूत, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
2. श्री करणसिह पिता चिमनसिंहजी राजपूत, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
3. श्री बालूदास पिता गणेशदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
4. श्री मांगीदास पिता गणेशदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
5. श्री गेरदास पिता गोकलदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
6. श्री मनोहरदास पिता गोकलदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
7. श्री वक्तावरदास पिता गोकलदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी तहसील मावली
8. श्री जमनादास पिता रूपदास जी वैरागी, निवासीं खाम की मादडी, तहसील मावली
9. श्री शंकरदास पिता रूपदास जी वैरागी, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली
10. श्री चुन्नीदास पिता गोकलदास जी वैरागी निवासी साकरीया खेड़ी, तहसील मावली

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 21/07 (वाद) GCMS No. – 2007/00090

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउण्टर वाद मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर दोनो खारिज किये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:53 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली